रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/92 REGD. NO. D.L.-33004/92

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 47] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 30, 1992/माघ 10, 1913
No. 47] NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 30, 1992/MAGHA 10, 1913

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जनवरी, 1992

सा. का. नि. 71 (अ).—केन्द्रीय सरकार, प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम 1985 (1985 का 13) की धारा 36क के साथ पठित धारा 35 की उप-धारा (2) के खंड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महाराष्ट्र प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्यों के वेतन तथा भत्ते और सेवा शर्तें) नियमावली, 1986 में और आगे संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है अर्थात् :—

1. (1) संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ—इन नियमों का नाम महाराष्ट्र प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्यों के वेतन, भत्ते तथा सेवा शर्तें) संशोधन नियमावली, 1992 है।

(2) ये नियम 8 जुलाई, 1991 से लागू हुए समझे जाएंगे।

2. महाराष्ट्र प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्यों के वेतन, भत्ते तथा सेवा शर्तें) नियमावली, 1986 (इसके पश्चात् उक्त नियमावली के नाम से संदर्भित) में नियम 3 के स्थान पर निम्नलिखित नियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"3. वेतन—अध्यक्ष आठ हजार रुपए वेतन प्रति माह जमा 500 रु. प्रति माह विशेष वेतन प्राप्त करेगा। उपाध्यक्ष आठ हजार रुपए वेतन प्रति माह प्राप्त करेगा। सदस्य 7300—100—7600 रुपए प्रतिमाह के वेतन मान में वेतन प्राप्त करेंगे।

परन्तु किसी ऐसे व्यक्ति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्ति होने की दिशा में जो किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में सेवा निवृत्त हुआ है

या जो केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के अधीन सेवा निवृत्त हुआ है या जो पेंशन और/या उपदान, अभिदायी भविष्य निधि में नियोजक के अभिदाय के रूप में कोई सेवा निवृत्ति लाभ या अन्य प्रकार के सेवा निवृत्ति लाभ प्राप्त कर रहा है या कर चुका है या प्राप्त करने का हकदार हो गया है तो वेतन में से उसके द्वारा प्राप्त या प्राप्त की जाने वाली पेंशन और उपदान के समतुल्य पेंशन या अभिदायी भविष्य निधि में नियोजक के अभिदाय या किसी अन्य प्रकार के सेवा निवृत्ति प्रसुविधाओं यदि कोई हैं, किन्तु सेवा निवृत्ति उपदान के समतुल्य पेंशन को निकाल कर, की कुल रकम कम कर दी जाएगी ।

3. उक्त नियमावली में नियम 4 के लिए निम्नलिखित नियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा :—

"4 महंगाई भत्ता तथा नगर प्रतिपूर्ति भत्ता अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या/और कोई सदस्य उनके वेतन के अनुरूप उन्हीं दरों पर महंगाई भत्ता और नगर प्रतिपूर्ति भत्ता प्राप्त करने का हकदार होगा जो केन्द्रीय सरकार में रुपए 7300-10-17600 या उससे अधिक वेतनमान में जैसा भी मामला हो, वेतन प्राप्त करने वाले समूह "क" के अधिकारियों को अनुज्ञेय है ।"

4. उक्त नियमावली के नियम 15 के पश्चात् निम्नलिखित नियम को जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

"15क. उक्त नियमावली के नियम 4 से 15 में किसी भी बात के होते हुए महाराष्ट्र प्रशासनिक अधिकरण के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की सेवा शर्तें तथा उन्हें उपलब्ध अन्य परिलब्धियां वही होंगी जो कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश (सेवा शर्तें) अधिनियम 1954 (1954 का 28) तथा उच्च न्यायालय के न्यायधीश (यात्रा भत्ते) नियमावली, 1956 में उच्च न्यायालयों के सेवारत न्यायाधीशों को अनुज्ञेय है ।"

[सं. पी. 13022/4/91-प्र.अ.]

आर. रमणी, संयुक्त सचिव

व्याख्यात्मक ज्ञापन

केन्द्रीय सरकार ने केन्द्रीय सिविल सेवा समूह "क" के वेतन संशोधित करने के संबंध में चतुर्थ केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर लिए गए निर्णयों को कार्यान्वित करने का निर्णय किया है। चूंकि महाराष्ट्र प्रशासनिक अधिकरण के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्यों की सभी नियुक्तियां 8 जुलाई 1991 से की गई है अतः ये नियम भी 8 जुलाई 1991 से लागू किए जाते हैं। यह प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव दिए जाने से महाराष्ट्र प्रशासनिक अधिकरण के किसी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना नहीं है ।

पादटिप्पणी : मूल नियम दिनांक 21 अक्तूबर 1986 की अधिसूचना सा. का. नि. सं. 1157 (ई) में प्रकाशित किए गए थे ।

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th January, 1992

G.S.R. 71(E).—In exercise of the powers conferred by clause (c) of sub-section (2) of section 35 read with section 36A of the Administrative Tribunals Act, 1985 (13 of 1985), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Maharashtra Administrative Tribunal Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairman, Vice-Chairman and Members) Rules, 1986, namely :—

1. (1) Short title and commencement.—These rules may be called the Maharashtra Administrative Tribunal (Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chirman, Vice-Chairman and Members) Amendment Rules, 1992.

(2) They shall be deemed to have come into force on the 8th day of July, 1991.

2. In the Maharashtra Administrative Tribunal (Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairman, Vice-Chairman and Members) Rules, 1986 (hereinafter referred to as the said rules), for rule 3, the following rule shall be substituted, namely :—

"3. Pay.—The Chairman shall receive a pay of rupees eight thousand plus a special pay of rupees five hundred per mensem. A Vice-Chairman shall receive a pay of rupees eight thousand per mensem. A member shall receive a pay in the scale of Rs. 7300-100-7600 per mensem:

Provided that in the case of an appointment as Chairman, Vice-Chairman or a person who has retired as a Judge of a High Court or who has retired from service under the Central Government or a State Government and who is in receipt of or has received or has become entitled to receive any retirement benefits by way of pension and or gratuity, employer's contribution to the Contributiory Provident Fund or other forms of retirement benefits, the pay shall be reduced by the gross amount of pension and pension equivalent of service gratuity or employer's contribution to the Contributory Provident Fund or any other form of retirement benefits, if any, but excluding pension equivalent of retirement gratuity, drawn or to be drawn by him."

3. In the said rules, for rule 4, the following rule shall be substituted, namely :—

"4. Dearness Allowance and City Compensatory Allowance.—The Chairman, a Vice-Chairman and a Member shall receive Dearness Allowance and City Compensatory allowance appropriate to their pay at the rates admissible to Group 'A' Officers of the Central Government drawing a pay in the scale of Rs. 7300-100-7600 or above, as the case may be."

4. After rule 15 of the said rules, the following rule shall be inserted, namely :—

"15A. Notwithstanding anything contained in rules 4 to 15 of the said rules, the conditions of service and other perquisites available to the Chairman and Vice-Chairman of the Maharashtra Administrative Tribunal shall be the same as admissible to a serving Judge of a High Court as contained in the High Court Judges (Conditions of Service) Act, 1954 (28 of 1954) and High Court Judges (Travelling Allowances) Rules, 1956.

[No. P. 13022/4/91-AT]

R. RAMANI, Jt. Secy.

EXPLANATORY MEMORANDUM

The Central Government has decided to implement the decisions taken on the recommendations of the Fourth Central Pay Commission relating to revision of pay in respect of the Central Civil Services Group 'A'. Since all the appointments of Chairman, Vice-Chairman and Members in the Maharashtra Administrative Tribunal have been made with effect from 8th July, 1991, these rules are being given effect from that date. It is certified that no Chairman, Vice-Chairman and Member of the Maharashtra Administrative Tribunal is likely to be affected adversely by this notification being given retrospective effect.

Footnote :—The Principal rules were published vide GSR 1157(E) dated the 21st October, 1986.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1992